संख्याः 01/2019/1889/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी, 2019**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामान्य मद, अनुदान संख्या-070, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में लाइटों के अधिष्ठापन हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4507/यूपीनेडा-एसई- पीवी-एसएसएल-बजट /2018-19, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-070 सामान्य मद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख (रू0 तीन हजार लाख मात्र) का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि में से रू0 1200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 737/87- अति0ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 04 मई 2018 द्वारा निर्गत की गयी थी। तदनुक्रम में यूपीनेडा के प्रस्ताव के क्रम में सम्प्रति दो योजनाओं क्रमशः प0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के लिये द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि का 40 प्रतिशत रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र) पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्ट्रीट लाईट योजनान्तर्गत रू0 813.00 लाख तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजनान्तर्गत रू0 387.00 लाख को श्री राज्यपाल महोदय आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-901/45-वि0(अति0 ऊ0स्रो0वि0)/2017 दिनांक 23 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1049/87-अति0ऊ0स्रो0 वि0/2018 दिनांक 18 जून 2018 में उल्लिखित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नही किया जायेगा। योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्व ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

6- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

7- द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्यो की वीडियोग्राफी भी कराई जाय।

8- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

9- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

11- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च 2018 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय किये जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रम/योजना से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 70 के अधीन लेखा शीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-विज्ञान एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0306-पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(4) राज्य योजना आयोग-1

(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।